संक्षिप्त अवलोकन

संक्षिप्त अवलोकन

इस प्रतिवेदन में ₹ 671.23 करोड़ के राजस्व अर्थापत्ति सहित "**स्टाम्प शुल्क, पंजीकरण फीस के उद्ग्रहण और भूमि अभिलेख के लिए कम्प्यूटरीकरण की पहल**" पर एक निष्पादन लेखापरीक्षा तथा करों, ब्याज, पेनल्टी के अनुद्ग्रहण/कम उद्ग्रहण, उत्पाद शुल्क, स्टाम्प शुल्क, मोटर वाहन कर, रायल्टी इत्यादि के अनुद्ग्रहण/कम उद्ग्रहण से संबंधित 19 उदाहरणदर्शक अनुच्छेद शामिल हैं।

1. अध्याय-1

सामान्य

वर्ष 2017-18 के दौरान ₹ 62,694.87 करोड़ की तुलना में वर्ष 2018-19 के लिए राज्य सरकार की कुल राजस्व प्राप्तियां ₹ 65,885.12 करोड़ थी। इसमें से, 77 प्रतिशत कर राजस्व (₹ 42,581.34 करोड़) तथा कर-भिन्न राजस्व (₹ 7,975.64 करोड़) से एकत्रित किए गए थे। शेष 23 प्रतिशत भारत सरकार से विभाज्य संघीय करों के राज्य के हिस्से (₹ 8,254.60 करोड़) तथा सहायता अनुदान (₹ 7,073.54 करोड़) के रूप में प्राप्त किया गया था। पिछले वर्ष से राजस्व प्राप्तियों में ₹ 3,190.25 करोड़ (5.09 प्रतिशत) की वृद्धि थी।

(अनुच्छेद 1.1.1)

बिक्री कर/मूल्य वर्धित कर, राज्य उत्पाद शुल्क, स्टाम्प शुल्क तथा पंजीकरण फीस, मोटर वाहन कर तथा अन्य कर-भिन्न प्राप्तियों के 275 यूनिटों के अभिलेखों की वर्ष 2018-19 के दौरान की गई नमूना-जांच ने 9,836 मामलों में कुल ₹ 2,279.04 करोड़ के राजस्व के अवनिर्धारण/कम उद्ग्रहण/अनुद्ग्रहण/हानि दर्शाई। वर्ष 2018-19 के दौरान, विभागों ने 5,211 मामलों में ₹ 948.12 करोड़ के अवनिर्धारण स्वीकार किए। इनमें से, विभाग ने वर्ष 2018-19 के दौरान 304 मामलों में ₹ 13.29 करोड़ (1.40 प्रतिशत) वसूल कर लिए थे।

(अनुच्छेद 1.10)

2. अध्याय-2

बिक्रियों, व्यापार पर कर/वैट

17 डीलरों ने ₹ 1,151 करोड़ की बिक्री को छिपा दिया था। कर-निर्धारण प्राधिकारियों ने बिक्री/खरीद का सत्यापन नहीं किया था, जिसके परिणामस्वरूप ₹ 60.06 करोड़ के कर का अपवंचन हुआ। इसके अतिरिक्त, ₹ 180.17 करोड़ की पेनल्टी उद्गृहीत नहीं की गई थी।

(अनुच्छेद 2.3)

कर-निर्धारण प्राधिकारी ने ₹ 5.00 करोड़ के अधिक इनपुट टैक्स क्रेडिट की अनुमति प्रदान की। इसके अतिरिक्त, ₹ 0.18 करोड़ का ब्याज भी उद्ग्राह्य था।

(अनुच्छेद 2.5)

कर-निर्धारण प्राधिकारियों ने परिगणना में गलती के कारण ₹ 26.23 करोड़ के कर का अवनिर्धारण किया। इसके अतिरिक्त, ₹ 18.63 करोड़ का ब्याज भी उद्ग्राह्य था।

(अनुच्छेद 2.7)

कर-निर्धारण प्राधिकारियों ने नौ डीलरों के कर की गलत दर की अनुमति दी, जिसके परिणामस्वरूप ₹ 4.82 करोड़ के कर का अवनिर्धारण हुआ। इसके अतिरिक्त, ₹ 3.91 करोड़ का ब्याज भी उद्ग्राह्य था।

(अनुच्छेद 2.8)

कर-निर्धारण प्राधिकारियों ने 10 डीलरों के निर्धारण को अंतिम रुप देते समय ₹ 43.84 करोड़ के शाखा स्थानांतरण/प्रेषण की गलत छूट दी, जिसके परिणामस्वरूप ₹ 2.30 करोड़ के कर का अनुद्ग्रहण हुआ। इसके अतिरिक्त, ₹ 6.90 करोड़ की पेनल्टी भी उद्ग्राह्य थी।

(अनुच्छेद 2.11)

कर-निर्धारण प्राधिकारियों ने 10 डीलरों के स्टॉक को छिपाने के लिए अदेय इनपुट टैक्स क्रेडिट को अस्वीकृत कर दिया लेकिन ₹ 14.27 करोड़ की निर्धारित पेनल्टी नहीं लगाई।

(अनुच्छेद 2.14)

3. अध्याय-3

राज्य उत्पाद शुल्क

कोटा कम उठाने पर उप-आबकारी एवं कराधान आयुक्त (आबकारी) द्वारा पेनल्टी का उद्ग्रहण करने में विफलता के परिणामस्वरूप ₹ 5.04 करोड़ के राजस्व की हानि हुई।

(अनुच्छेद 3.3)

अप्रैल 2016 से मार्च 2018 की अवधि हेतु 58 लाइसेंसधारियों द्वारा ₹ 153.36 करोड़ की लाइसेंस फीस के विलंबित भुगतान पर ब्याज के अनुद्ग्रहण के कारण ₹ 3.19 करोड़ की हानि थी।

(अनुच्छेद 3.4)

4. अध्याय-4

स्टाम्प शुल्क

"स्टाम्प शुल्क, पंजीकरण फीस के उद्ग्रहण और भूमि अभिलेख के लिए कम्प्यूटरीकरण की पहल" पर निष्पादन लेखापरीक्षा ने सिस्टम में व्यावसायिक नियमों की मैपिंग में कमियां दर्शाईं, जिसके परिणामस्वरूप अचल संपत्ति के अवमूल्यांकन और स्टाम्प शुल्क की अनियमित छूट के कारण राजस्व की कम वसूली/अवसूली हुई। सिस्टम डिज़ाइन में कमियां देखी गईं थी, जिसके परिणामस्वरूप कई मामलों में स्टाम्प शुल्क एवं पंजीकरण फीस का कम उद्ग्रहण हुआ। अचल संपत्ति और रिफंड प्रक्रिया के अवमूल्यांकन के संदर्भित मामले स्वचालित नहीं थे, जिसके परिणामस्वरूप संदर्भित मामलों और त्रुटिपूर्ण स्टाम्प रिफंड प्रक्रिया के निपटान में विलंब हुआ। ई-पंजीकरण प्रणाली में अपर्याप्त एप्लीकेशन नियंत्रण पारदर्शिता, बिचौलिए को हटाने, सेवा के अधिकार अधिनियम में परिकल्पित के रूप में नागरिकों को परेशानी मुक्त सेवाओं के प्रावधान के उद्देश्य को प्रभावित करते हैं। लेखापरीक्षा ने अवलोकित किया कि उपर्युक्त के परिणामस्वरूप हरियाणा सरकार को ₹ 25.86 करोड़ के राजस्व की हानि हुई। आगे, भूमि अभिलेख के कम्प्यूटरीकरण के उद्देश्य को प्रभावी ढंग से प्राप्त नहीं किया जा सका क्योंकि राष्ट्रीय भूमि अभिलेख आधुनिकीकरण कार्यक्रम (एन.एल.आर.एम.पी.) के अंतर्गत आधुनिकीकरण/कम्प्यूटरीकरण से संबंधित कार्य को निर्धारित तिथि से आठ वर्ष के

बाद भी पूरा नहीं किया गया था। लेखापरीक्षा द्वारा चिह्नित कुछ महत्वपूर्ण क्षेत्रों को निम्नानुसार दर्शाया गया है:-

- विभाग ने कार्यात्मक आवश्यकता विनिर्देश, सॉफ़्टवेयर आवश्यकता विनिर्देश और परिवर्तन प्रबंधन नीति/प्रक्रिया तैयार नहीं की थी।

(अनुच्छेद 4.3.7.1)

- प्रणाली में व्यापार नियमों की मैपिंग की कमी के परिणामस्वरूप ₹ 22.56 करोड़ के स्टाम्प शुल्क और पंजीकरण फीस का कम उद्ग्रहण हुआ।

{अनुच्छेद 4.3.7.2 (क) से (घ)}

- स्वचालन के अभाव में अपूर्ण प्रणाली डिजाइन तथा मैनुअल सत्यापन प्रक्रिया के लागू न होने के परिणामस्वरूप ₹ 1.54 करोड़ के स्टाम्प शुल्क और पंजीकरण फीस का कम उद्ग्रहण हुआ।

(अनुच्छेद 4.3.7.3)

- राष्ट्रीय भूमि अभिलेख आधुनिकीकरण कार्यक्रम के अंतर्गत भूमि अभिलेखों के आधुनिकीकरण/कम्प्यूटरीकरण से संबंधित कार्य पूरा नहीं हुआ था।

(अनुच्छेद 4.3.10.2)

- आपदा की स्थिति में आई.टी. प्रणाली की निरंतरता सुनिश्चित करने के लिए व्यावसायिक निरंतरता योजना विकसित नहीं की गई थी।

(अनुच्छेद 4.3.11)

- विभाग ने कोई पासवर्ड नीति नहीं बनाई है। इसके अभाव में, छुट्टी आदि के कारण उनकी अनुपस्थिति के दिन/दिनों पर विभागीय अधिकारियों/कार्मिकों को आबंटित यूजर आई.डी. का प्रयोग करते हुए 3,981 लेनदेन अप्राधिकृत रूप से बनाए/एक्सेस किए गए थे।

(अनुच्छेद 4.3.12)

- पंजीकरण फीस की संशोधित दरों को देरी से लागू करने के परिणामस्वरूप ₹ 1.69 करोड़ की पंजीकरण फीस का कम उद्ग्रहण हुआ।

(अनुच्छेद 4.3.15)

5. अध्याय-5

वाहनों, माल एवं यात्रियों पर कर

माल वाहन कर

597 परिवहन और माल वाहनों के मालिकों ने वर्ष 2017-18 के दौरान मोटर वाहन कर जमा नहीं करवाया या कम जमा करवाया था, जिसके परिणामस्वरूप ₹ 69.61 लाख के मोटर वाहन कर की अवसूली/कम वसूली हुई। इसके अतिरिक्त, ₹ 69.61 लाख की पेनल्टी भी उद्ग्राह्य थी।

(अनुच्छेद 5.3)

97 परिवहन वाहनों के मालिकों ने मोटर वाहन अधिनियम, 1988 के अंतर्गत विभिन्न अपराधों के लिए लगाई गई देय पेनल्टी को जमा नहीं करवाया, जिसके परिणामस्वरूप ₹ 28.28 लाख की पेनल्टी की वसूली नहीं हुई।

(अनुच्छेद 5.4)

6. अध्याय-6

अन्य कर तथा कर-भिन्न प्राप्तियां

खदान एवं भू-विज्ञान विभाग

- विभाग ने ₹ 195.76 करोड़ के मासिक संविदा धन के कम जमा करवाने/जमा न करवाने के लिए 36 ठेकेदारों के विरूद्ध कार्रवाई आरंभ नहीं की थी। इसके अतिरिक्त, ₹ 80.05 करोड़ का ब्याज भी उद्ग्राह्य था।

(अनुच्छेद 6.3)

- विभाग ने खान और खनिज विकास, बहाली और पुनर्वास निधि में ₹ 21.30 करोड़ कम जमा करवाने/जमा न करवाने के लिए 22 ठेकेदारों के विरूद्ध कार्रवाई आरंभ नहीं की। ₹ 7.08 करोड़ का ब्याज भी उद्ग्राह्य था।

(अनुच्छेद 6.4)

- 34 ईंट भट्ठा मालिकों ने वर्ष 2017-18 के दौरान रॉयल्टी की ₹ 10.69 लाख की देय राशि जमा नहीं की। ₹ 4.11 लाख का ब्याज भी उद्ग्राह्य था।

(अनुच्छेद 6.5)